2/11/2021 - पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प पालियास में रखी गई। पक्षकार उपस्थित। प्रार्थी ने सरपंच ग्राम पंचायत पालियास द्वारा जाति प्रमाण-पत्र पेश किया है जो शामिल रखे। उपस्थित पक्षों से सुना गया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 86/2020

प्रार्थी – गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द जाति ब्राम्हण निवासी पालियास तहसील डेगाना जिला नागौर राज0

बनाम

अप्रार्थी –
1. तहसीलदार डेगाना जिला नागौर
2. धुलाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी केरिया रावां तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी –श्री जीयाराम रॉयल

दिनांक 22.11.2021

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पूनियास तहसील डेगाना की राजस्व सीमा में खेत खसरा नंबर 89 रकबा 2.07 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थी के नाम से उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज हो रखा है। उक्त खसरा नंबर 89 रकबा 2.07 हैक्टेयर भूमि के पुराने खसरा नंबर 50 रकबा 12.16 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा खातेदार धूलाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी केरिया रावां के नाम से दर्ज था। उक्त खातेदार धूलाराम पुत्र पेमाराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज दिनांक 11.05.1999 को प्रार्थी के पक्ष में बेचान दस्तावेज संख्या 262/99 के द्वारा बेचान निष्पादित करवा दिया गया था तथा बेचान के आधार पर नामान्तकरण संख्या 355 दिनांक 21.06.1999 के द्वारा प्रार्थी के नाम से नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया। बेचान दस्तावेज दिनांक 11.05.1999 एवं नामान्तकरण संख्या 355 में प्रार्थी का सही नाम गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द दर्ज हो रखा है तथा इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भी प्रार्थी का नाम गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द जाति ब्राम्हण 1/2 सही दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 355 जो कि प्रार्थी के द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित बेचान दिनांक 11.05.1999 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों के द्वारा तैयार किया गया है जिसके अवलोकन से भी स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि के खातेदार धूलाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट सा. केरिया रावां जिसके पुराने खसरा नंबर 50 रकबा 12.16 बीघा में से धुला पुत्र पेमा जाट सा. केरिया रावां 3/4 व हरदीन, देवकरण, देवीलाल, हीरालाल पिता बोदू 1/4 कोम ब्राम्हण सा. देह खातेदार दर्ज है तथा उक्त बेचान के आधार पर दर्ज किये गये नामान्तकरण के स्वीकृत होने पर गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द कौम ब्राम्हण 1/2 धुला पुत्र पेमा जाट सा. केरिया रावां 1/4 हरदीन,

Scanned by CamScanner

देवकरण, देवीलाल, हीरालाल पि0 बोदूराम 1/4 कौम ब्राम्हण सा. देह खातेदार दर्ज किया गया था। नकल नामान्तकरण संख्या 355 की वास्ते मुलाहिजा साथ में है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पुराना खसरा नंबर 50 रकबा 12.16 बीघा भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2059 से 2062 एवं 2066 से 2069 रेकर्ड तैयार किया गया जिसमें भी प्रार्थी का स्पष्ट रूपसे सही नाम गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द कौम ब्राम्हण हिस्सा 1/2 सही दर्ज हो रखा है परन्तु राज्य सरकार द्वारा भूमि का रि–सेटलमेन्ट किये जाने के दौरान जो जमाबन्दी संवत 2066 से 85 तैयार की गई जिसमें प्रार्थी के उक्त पुराने खसरा नंबर 50 रकबा 12.16 बीघा के नये खसरा नंबर 89 रकबा 2.07 हैक्टेयर दर्ज करते हुए प्रार्थी का नाम अन्य सहखातेदारान के साथ गोविन्द पुत्र माणकचन्द कौम ब्रामहण एवं प्रलाद पुत्र माणकचन्द अलग–अलग नाम रेकर्ड में दर्ज करते हुए 3/16, 3/16 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया जबकि गोविन्द पुत्र माणकचन्द व प्रलाद पुत्र माणकचन्द दोनो नाम के एक ही व्यक्ति प्रार्थी है। इसी के साथ उक्त खसरा के खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 धूला पुत्र पेमाराम जाट 1/4 हिस्सा के स्थान पर 3/8 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त जमाबन्दी संवत 2067 से 2076 में गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द 1/2, धुला पुत्र पेमाराम जाट 1/4 एवं शेष खातेदार देवकरण, देवीलाल, हरदीन, हीरालाल पि0 बोदूराम सभी का 1/16, 1/16 हिस्सा दर्ज कर खातेदारी दर्ज करनी चाहिये थी जो गलत दर्ज कर दी गई। प्रार्थी का नाम व हिस्सा राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज चले आने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर बड़ा भारी कुठाराधात हो रहा है एवं प्रार्थी अपनी भूमि का विकास एवं सुधार कार्य नहीं करवा पा रहा है। ना ही राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहन एवं कृषि साख सुविधा प्राप्त कर पा रहा है एवं ना ही ऋण आदि ले पा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम पूनियास की राजस्व सीमा में स्थित खेत पुराने खसरा नंबर 50 रकबा 12.16 बीघा के नये खसरा नंबर 89 रकबा 2.07 हैक्टेयर में गोविन्द पुत्र माणकचन्द 3/16 हिस्सा एवं इसी प्रकार प्रलाद पुत्र माणकचन्द 3/16 हिस्सा जो गलत दर्ज हो रखा है उक्त दोनो नाम का एक ही व्यक्ति प्रार्थी होने से उसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का सही नाम गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द कौम ब्राम्हण दर्ज किया जाकर खसरा नंबर 89 रकबा 2.07 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी के नाम से 1/2 हिस्से की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जावे तथा इसी खसरा की भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 धुलाराम पुत्र पेमाराम 3/8 गलत दर्ज हो रखा है उसे भी दुरूस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 का नाम धुलाराम पुत्र पेमाराम जाट हिस्सा 1/4 दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर इकबाली जवाब पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारी तहसीलदार डेगाना ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 में ग्राम पूनियास के खसरा नंबर पुराना 50 रकबा 12.16 बीघा भूमि सहखातेदारी में धूलाराम पुत्र पेमाराम जाट सा0 देह के नाम दर्ज है। इसी चौसाला में नामान्तकरण संख्या 355 दिनांक 21.06.1999 के द्वारा धूलाराम ने अपने 3/4 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा का बैचान गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द ब्राम्हण सा0 देह को किया गया। सेग्रीगेशन खतौनी संवत 2067 से 2076 में हिस्सा खोलते समय प्रार्थी गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द 3/16, प्रहलाद पुत्र माणकचन्द 3/16 व धूलाराम पुत्र पेमाराम जाति ब्राम्हण 3/8 हिस्सा दर्ज हो गया जो गलत है। खतौनी

Scanned by CamScanner

संवत 2059 से 2062 में धूलाराम पुत्र पेमाराम जाट सा0 केरिया रावा 1/2 व गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द कोम ब्राम्हण 1/2 कुल 3/4 हिस्सा सहखातेदारी में दर्ज है। परन्तु आगामी खतौनी संवत 2066 से 2085 बनाते वक्त पुराना खसरा नंबर 50 व नया खसरा नंबर 89 रकबा 2.07 हैक्टेयर में वादी का नाम गोविन्द प्रलाद पुत्र माणकचन्द जाति ब्राम्हण 1/2 धूलाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट सा. केरियारावा 1/2 कुल 3/4 हिस्सा में दर्ज हो गया अर्थात गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द के स्थान पर गोविन्द प्रलाद पि0 माणकचन्द दर्ज हो गया है। अतः धूलाराम पुत्र पेमाराम 3/8 जाति ब्राम्हण सा. केरियारावा, गोविन्द पुत्र माणकचन्द हिस्सा 3/16 व प्रलाद पुत्र माणकचन्द 3/16 जाति ब्राम्हण के स्थान पर धूलाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा 1/4 सा. केरियारावा व गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द हिस्सा 1/2 जाति ब्राम्हण सा. देह के नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प पालियास में रखी गई। उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2075 ग्राम पूनियास के खसरा नंबर 89 रकबा 2.0700 हैक्टेयर में गोविन्द पुत्र माणकचन्द हिस्सा 3/16, प्रलाद पुत्र माणकचन्द हिस्सा 3/16, धूलाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा 3/8 जाति ब्राम्हण दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 खसरा नंबर 50 रकबा 12.16 बीघा में धूलाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट सा. केरियारावा हिस्सा 1/2 दर्ज है। इसी खाते के 1/4 हिस्से के खातेदार मोहनलाल, छोटूराम पि0 रामूराम का हिस्सा पूर्व में नामान्तकरण संख्या 348 से धूलाराम पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज किया गया जिससे इस खाते में धूलाराम पुत्र पेमाराम का कुल हिस्सा 3/4 हो गया तथा शेष 1/4 हिस्सा अन्य सहखातेदारान की खातेदारी में रहा। खातेदार धूलाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी केरियारावा के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज दिनांक 11.05.1999 के द्वारा खसरा नंबर 50 रकबा 12.16 बीघा में से 1/2 हिस्सा यानि 6.08 बीघा का बैचान प्रार्थी गोविन्द प्रसाद पुत्र माणक चन्द जाति ब्राम्हण निवासी पुनियास के पक्ष में किया गया है जिससे अब इस खाते में गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द का 1/2 हिस्सा, धूलाराम पुत्र पेमाराम का 1/4 हिस्सा तथा शेष 1/4 हिस्सा अन्य खातेदारान की खातेदारी में रहा। प्रार्थी गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 11.5.1999 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 355 दिनांक 21.06.1999 से अमल किया गया। नामान्तकरण संख्या 355 में गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द ब्राम्हण 1/2, धूलाराम पुत्र पेमाराम जाट सा. केरियारावां 1/4, हरदीन, देवकरण, देवीलाल, हीरालाल पि0 बोदूराम 1/4 कौम ब्राम्हण सा. देह खातेदार का स्पष्ट अंकन है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2075 ग्राम पूनियास के खसरा नंबर 89 में गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द के 1/2 जाति ब्राम्हण निवासी पूनियास हिस्से के स्थान पर गोविन्द पुत्र माणकचन्द हिस्सा 3/16, प्रलाद पुत्र माणकचन्द हिस्सा 3/16 जाति ब्राम्हण निवासी केरियारावां दर्ज किया गया है तथा धूलाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा 1/4 जाति जाट के स्थान पर धूलाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा 3/8 जाति ब्राम्हण दर्ज कर दिया। जबकि गोविन्द पुत्र माणकचन्द व प्रलाद पुत्र माणकचन्द दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द एक ही व्यक्ति है। ग्राम पंचायत पालियास द्वारा भी लिखित में प्रहलाद पुत्र माणकचन्द नाम का व्यक्ति नहीं होना प्रमाणित किया है। साथ ही इनकी हिस्साकस्सी भी गलत दर्ज की गई है। खातेदार धूलाराम पुत्र पेमाराम की जाति जाट के बजाय ब्राम्हण गलत दर्ज की है। भूमिधारी तहसीलदार डेगाना ने भी अपने जवाब में गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द तथा धूलाराम पुत्र पेमाराम के हिस्से में

Scanned by CamScanner

दुरूस्ती एवं नाम में दुरूस्ती की अनुशंषा की है। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, अप्रार्थी संख्या 2 धूलाराम के इकबाली जवाब एवं भूमिधारी तहसीलदार डेगाना की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम पुनियास के खसरा नंबर 89 रकबा 2.07 हैक्टेयर में दर्ज गोविन्द पुत्र माणकचन्द हिस्सा 3/16, प्रलाद पुत्र माणकचन्द हिस्सा 3/16 के स्थान पर गोविन्द प्रसाद पुत्र माणकचन्द हिस्सा 1/2 जाति ब्राम्हण सा. देह दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। खातेदार प्रलाद पुत्र माणकचन्द का नाम खातेदारी से विलोपित किया जावे। खातेदार धूलाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा 3/8 जाति ब्राम्हण के स्थान पर धूलाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा 1/4 जाति जाट दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। खाते की शेष प्रविष्टियां पूर्ववत्त रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर मजमेआम में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner